न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

दिनांक 23.12.2025

प्रकरण संख्या :– 46/2015 ई.रे.

1. नाथूलाल पिता नन्दा जाती मोग्या निवासी नलवाई तहसील बड़ीसादड़ी

– प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मण पिता नन्दा मोग्या निवासी नलवाई तहसील बड़ीसादड़ी
2. तहसीलदार बडीसादडी

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित– श्री आर. एस. झाला वकील प्रार्थी
श्री एम.एच. खान वकील विपक्षी

–:: आदेश::–

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

. 1–प्रार्थी ने उक्त उनवान का एक वादपत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय आप में पेश कर रखा है जिसके मुकदमा नं. 28/13 रे. वाद पर दर्ज है तथा उक्त प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत है और उसके अन्तिम निस्तारण में समय लगने की पुर्ण संभावना है जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर पेश है।

2–खाता सं. 66 की आराजी नं. 194 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, आराजी नं. 196 रकबा 0.2600 हैक्टेयर आराजी नं. 445 रकबा 0.4400 हैक्टेयर आराजी नं. 507 रकबा 0.0100 हैक्टेयर आराजी नं. 508 रकबा 1.7200 हैक्टैयर कुल किता 5 रकबा 2.8800 हैक्टेयर जिसके पुराने खाता नं. 51 की आराजी नं. 124, 126, 227 तथा 223/20 मौजा नलवई तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है। उक्त आराजीयात को प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से संबोधित किया जायेगा।

3–उक्त प्रकरण के मुल वाद में प्रतिवादी नन्दा की दिनांक 26.5.2015 को मृत्यु हो चुकी है। नन्दा ने 2 शादीयां की थी बड़ी पत्नी नारायणी व दुसरी नातायत पत्नी काली बाई थी जिसमें से नारायणी बाई विधिक विवाहित पत्नी होकर वादी व लक्ष्मी बाई उसके विधिक वारीसान है। तथा काली बाई नातायत पत्नी के लक्ष्मण, नानालाल, कलाबाई, सोना बाई उसके विधिक वारीसान है।

4–आराजी नं. 223/20 जिसके नये नं. 507 व 208 है जो रकबा 8 बिघा है, उक्त आराजीयात नन्दा को आवंटीत हुई थी और नन्दा ने उक्त आराजीयात को मोहन एवं सरदारीया निवासी नलवई को दिनांक 24.8. 1976 को विक्रय की थी और उसी दिन उक्त आराजीयात को मोहन व सरदारीयात से विक्रय राशी अदा कर वादी ने खरीद कर ली तभी से उक्त आराजीयात पर वादी काबीज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिस कारण उक्त आराजी नं. 223/20 जिसके नये नं. 507 व 508 है जो रकबा 8 बिघा को अकेले प्रार्थी अपने नाम दर्ज रिकार्ड कराने का अधिकारी है।

5–यह कि शेष आराजीयात पैतृक पुश्तैनी आराजीयात है [illegible] का जन्म से 1/2 हक हिस्सा निहित है जिसको प्रार्थी 1/2 हक हिस्से की आराजीयात को अपने नाम [illegible] रिकार्ड कराये जाने का अधिकारी है।

6–नन्दा की दुसरी नातायत पत्नी के वारीसान आराजी नं. [illegible] जिसके नये नं. 507 व 508 है में नन्दा की मृत्यु के बाद राजस्व कर्मचारीयों से मिलकर [illegible] हिस्सा कराना चाहते है जबकि उक्त आराजीयात में इनकों कोई हक अधिकार या सम्बन्ध सरोकार नही है। व शेष आराजीयात में इनकों कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

हक अधिकार या संबध सरोकार नहीं है। व शेष आराजीयात का भी विधिवत रूप से बटवाडा नही हुआ है। और बिना बटवाडा हुए ही दुसरी पत्नी के वारीसान शेष वादग्रस्त आराजीयात में अपना 1/2 हक हिस्सा नाम दर्ज कराकर विक्रय करने पर आमदा है जिस कारण प्रतिवादी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वह राजस्व रिकार्ड की तथा मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

7—अप्रार्थी को यदि अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को ऐसी अपुर्णनीय क्षती कारीत होगी जिसकी पूर्ती अन्य रूप से संभव नही है। तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वह वादग्रस्त आराजीयात में राजस्व रिकार्ड की तथा मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

विपक्षी लक्ष्मण कि ओर से जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया।

1. प्रार्थना पत्र कि कलम सं. 1 असत्य होकर अस्वीकार है। प्रार्थी कि ओर से मिथ्या एवं निराधार तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया है। जो खारीज होने योग्य है।
2. प्रार्थी कि ओर से प्रार्थना पत्र कि कलम सं. 2 में वर्णित पुराने खाता सं. 51 के सही आराजी नं. वर्णित किये है लेकिन नये आराजी नं. के मिलान हेतु कोई मिलान क्षेत्रफल प्रार्थी कि ओर से प्रस्तुत नही हुआ है।
3. प्रार्थना पत्र कि कलम सं. 3 में वर्णित मुल वाद के प्रतिवादी नन्दा कि मृत्यु दिनांक 26.5.15 को होना स्वीकार है। नन्दा ने अपने जीवनकाल में दो शादिया कि थी वादी कि माता नारायणीबाई कि मृत्यु के बाद नन्दा ने अपने जाति समाज में प्रचलित रिति रिवाज के अनुसार काली बाई से विवाह किया जिससे लक्ष्मण नानालाल कलाबाई व सोना सन्तान उत्पन्न होना स्वीकार है जो मृतक नन्दा के विधिक वारिसान है लेकिन प्रार्थी ने जानबुझ कर नन्दा के वारिसान को उन्हें न्याय से वंचित करने के दुराशय से पक्षकार नही बनाया है। विपक्षी लक्ष्मण को जानकारी होने पर पक्षकार बनने का प्रकरण में आवेदन प्रस्तुत करने पर आप न्यायालय के आदेशानुसार उसे बतौर विपक्षी पक्षकार बनाया गया है।
4. प्रार्थना पत्र कि कलम सं. 4 असत्य होकर अस्वीकार है। आराजी न. 223/20 को नन्दा ने मोहन व सरदारिया को कभी विक्रय नही की उक्त आराजी नन्दा को एलोटमेन्ट हुई तथा अन्य आराजी नन्दा को उसके गोदी पिता से उसकी सेवा करने से प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी का कोई हिस्सा नही है। प्रार्थी ने मोहन व सरदारिया से विक्रय राशी अदा कर उक्त आराजी नही खरीदी उक्त आराजी पर कभी भी प्रार्थी का कब्जा नही रहा है। बल्की नन्दा के जीवनकाल तक नन्दा काबिज थे नन्दा कि मृत्यु के बाद विपक्षी लक्ष्मण एवं उसका भाई नानालाल काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार प्रार्थी आराजी नं. 223/20 को दिनांक 24.8.76 को विक्रय करना बता रहा है। जबकि उक्त आराजी दिनांक 3.9.1980 को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज हुई है। जबकि कानूनन गैर खातेदार व्यक्ति को भूमी विक्रय करने का कोई अधिकार नही है। तथा ऐसा किया गया विक्रय अवैध एवं शुन्य प्रभावी है। प्रार्थी ने मिथ्या एवं निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो खारीज होने योग्य है।
5. प्रार्थनापत्र कि कलम सं. 5 असत्य होकर अस्वीकार है। शेष आराजीयात में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित नही है। आराजी नं. 133 प्रार्थी नाथुलाल के हिस्से में आई जिसे नाथुलाल ने शकुन्तला व भुरीबाई गुर्जर को विक्रय कर दी जिसका सम्पुर्ण विक्रय प्रतिफल नाथुलाल ने ही प्राप्त किया केवल मा. आराजी नं. 133 नन्दा के खातेदारी में दर्ज होने से उसका विक्रय पत्र नन्दा ने लिखा। आराजी नं. 223/20 नन्दा को एलोटमेन्ट से प्राप्त हुई एवं शेष आराजीयात नन्दा को उसके गोदी पिता मोती से उनकी सेवा के बदले प्राप्त हुई जो नन्दा कि स्वअर्जीत जायदाद है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोहकार नही है। नन्दा ने दिनांक 25.1.1994 को एक पंजीकृत वसियत नाना अपनी समस्त मनकुला व गेर मनकुला और सारी जंगम व स्थावर सम्पत्ति विपक्षी लक्ष्मण व उसके भाई लालु उर्फ नानलाल को वसिरत कर दी उक्त समस्त जायदाद पर लक्ष्मण व उसके भाई लालु उर्फ [illegible] काबिज होकर काश्त कर रहे। वसियत कर्ता नन्दा कि मृत्यु हो जाने से वसियत प्रभाव में आ [illegible] है।
6. प्रार्थनापत्र कि कलम सं. 6 असत्य होकर अस्वीकार है। न[illegible] के दुसरी पत्नी के वारिसान आराजी नं. 223/20 में 1/2 हिस्सा उनकी खाते[illegible] है बल्की वसीयत नाना दिनांक 25.1.94 के अनुसार विपक्षी लक्ष्मण व उसका भाई लालु उर्फ [illegible]लाल उनकी खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। आराजी नं. 223/20 नन्दा को ऐलोटमेन्ट से प्राप्त हुई जिसका प्रार्थी से कोई सम्बन्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

सरोहकार नही है। नन्दा कि समस्त सेवा कालीबाई व उसके पुत्र लक्ष्मण व लालु उर्फ नानलाल ने ही की है। प्रार्थी विपक्षी लक्ष्मण को किसी प्रकार कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है।

7. प्रार्थना पत्र कि कलम सं. 7 असत्य होकर अस्वीकार है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस नही है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपुर्णनिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। खातेदार नन्दा ने लक्ष्मण व लालु उर्फ नानालाल के पक्ष में रजिस्टर्ड वसियत नामा निष्पादित किया है। जिसमें वर्णित अनुसार वादग्रस्त आराजीयात लक्ष्मण व लालु उर्फ नानालाल प्राप्त करने के अधिकारी है।

विशेष कथन

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित नन्दा के सभी वारिसान को दुर्भावनावश पक्षकार नही बनाया है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।
2. प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 42 के प्रावधानों से बाधित होने से खारीज होने योग्य है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्वय खारीज किये जाने का आदेश फरमावे।

वकील उभयपक्ष की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी हैं विपक्षी प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी है। जिससे प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षी को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में सफल रहे है।

–:निर्णयः–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 17.07.2015 के अनुसार विपक्षीगण मौजा नलवई पटवार हल्का चेनपुरिया की आराजी नं. 194, 196, 445, 507, 508 कुल किता 5 कुल रकबा 2.88 हैक्ट. भूमि की राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस हेतु विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है ।

यह आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:35 IST
Reason: SelfAttested

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी